रि-3870-I/14

1•रामेश्वर तनय मनीराम राठौर आयु 38 वर्ष,

2•धनीराम तनय मनीराम राठौर आयु 33 वर्ष

3•परषोत्तम तनय कन्हैयालाल राठौर आयु 43 वर्ष

4•शिवराज तनय कन्हैयालाल राठौर आयु 37 वर्ष

5•प्रदीप तनय कन्हैयालाल राठौर आयु 33 वर्ष

6•हुकम तनय मनीराम राठौर आयु 30 वर्ष

सभी निवासी-ग्राम करापुर तह•व जिला सागर, म•प्र•

...रिवीजनकर्तागण

|| बनाम ||

1•श्रीमती मोहनी पत्नी मनोहरलाल सोनी

2•श्रीमती विनीता पत्नी विनोद कुमार सोनी

3•श्रीमती पूनम पत्नी सुशील कुमार सोनी

4•पदमलाल तनय स्व• श्री मूलचंद राठौर,

सभी निवासी-ग्राम करापुर तह•व जिला सागर म•प्र•

...अनावेदकगण

~~प्रस्तुत 13. 30/10/14~~

रा. रि.

रिवीजन अन्तर्गत धारा 50 म•प्र•भू•रा•संहिता 1959

18-11-14

रिवीजनकर्तागण माननीय निम्न न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय सागर संभाग सागर द्वारा अपील क्र•708/6 वर्ष 2013-14 पक्षकार रामेश्वर वगैरह बनाम श्रीमती मोहनी वगैरह में पारित आदेश दिनांक 03•09•2014 से परिवेदित एवं दुखित होकर निम्न तथ्यों एवं आधारों पर श्रीमान् के समक्ष यह रिवीजन न्यायहेतु

(2)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश--ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

क्रमांक निगरानी –3870-I/14 रामेश्वर/श्रीमती मोहिनी जिला सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
03.11.2014	आवेदक अधिवक्ता श्री विनोद तिवारी उपस्थित । उन्हें ग्राह्यता पर सुना । 2– आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय के प्रकरण कमांक 708/अ–6/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 3–9–14 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया, जिससे परिवेदित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । 3– अपर आयुक्त के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त के द्वारा द्वितीय अपील को बिना पर्याप्त कारणों के ग्राह्यता की स्टेज पर खारिज किया गया है जबकि नियमानुसार द्वितीय अपील का निराकरण गुणदोष पर किया जाना आवश्यक है । अतः ऐसी स्थिति में इस निगरानी को इसी स्तर पर स्वीकार किया जाता है तथा अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 3–9–2014 को निरस्त किया जाता है । अपर आयुक्त न्यायालय को निर्देश दिये जाते हैं कि वह उभयपक्ष को सुनकर नियमानुसार गुणदोष पर अपील का निराकरण करें । (हस्ताक्षर) प्रशासकीय सदस्य	

।। प्रकरण के अभिलेख ...।।